यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013

प्रिलिम्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, विशाखा दिशा-निर्देश, वन स्टॉप सेंटर योजना, नारी शक्ति पुरस्कार

मेन्स के लिये:

भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक फैसले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)** (**Prevention of Sexual Harassment Act- PoSH**) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को लेकर चिंता व्यक्त की।

- न्यायालय ने इस **अधिनियम से संबंधित गंभीर खामियों और अनिश्चितताओं पर प्रकाश डाला है** जिसके कारण कई कामकाज़ी महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त प्रमुख चिंताएँ:

- PoSH अधिनियम के कार्यान्वयन में गंभीर खामियाँ और अनिश्चितताएँ पाई गई हैं, उदाहरण के लिये **30 राष्ट्रीय खेल संघों में से केवल 16 संघों द्वारा अनिवार्य आंतरिक शिकायत समितियों (Internal Complaints Committees- ICCs) का गठन किया गया था।**
  - यह PoSH अधिनियम को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार राज्य के अधिकारियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, निजी उपक्रमों, संगठनों और संस्थानों पर खराब प्रभाव डालता है।
- इन खामियों के कारण **महिलाओं के आत्मसम्मान, भावनात्मक कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव** पड़ता है। इसके अतिरिक्त **यह महिलाओं को यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता है** क्योंकि वे इसके परिणाम के बारे में अनिश्चित होती हैं और उनमें न्याय व्यवस्था को लेकर विश्वास की कमी भी होती है।
- **सिफारिशें:**
  - यदि कार्यस्थल का माहौल शत्रुतापूर्ण, असंवेदनशील और अनुत्तरदायी बना रहता है, तो अधिनियम केवल औपचारिक बनकर रह जाएगा। **कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाना चाहिये।**
  - प्रासंगिक निकायों ने **अधिनियम के तहत ICC, स्थानीय समितियों (LC) और आंतरिक समितियों (IC) का गठन** किया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिये एक **समयबद्ध अभ्यास प्रक्रिया** की आवश्यकता है।
    - निकायों को अपनी **संबंधित समितियों का विवरण अपनी वेबसाइट्स पर प्रकाशित** करने का निर्देश दिया गया है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **सरकारी मंत्रालयों, निकायों** को अधिनियम 2013 के आदेशों का पालन करने के लिये **आठ सप्ताह का समय** दिया है।

PoSH अधिनियम, 2013:

- **परिचय:**
  - **PoSH अधिनियम 2013** में **भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले यौन उत्पीड़न** के मुद्दे को हल करने के लिये बनाया गया एक कानून है।
    - अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये **एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना** तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
  - PoSH अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है जिसमें **शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिये मांग या**

अनुरोध, अश्लील टप्पिणी करना, अश्लील चत्रि दखिाना तथा कसिी भी अन्य अवांछति शारीरकि, मौखकि या गैर-मौखकि व्यवहार जैसे अवांछति कार्य शामलि हैं।

- **पृष्ठभूमि:** सर्वोच्च न्यायालय ने **वशिाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997** मामले में एक ऐतहिासकि नरि्णय में '**वशिाखा दशिा-नरि्देश**' जारी कयि।
  - इन दशिा-नरि्देशों में **कार्यस्थल पर महलिाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिेध और नविारण) अधनियिम, 2013 ("यौन उत्पीड़न अधनियिम")** को आधार बनाया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 15 (केवल धर्म, जाति, लगि और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खलिाफ)** सहति संवधिान के कई प्रावधानों से शक्ति प्राप्त की, साथ ही प्रासंगकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों जैसे **सामान्य अनुशंसाओं का भी चत्रिण कयिा, जैसे कि महलिाओं के खलिाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW), जसिे भारत ने वर्ष 1993 में अनुसमर्थति** कयिा।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **रोकथाम और नषिेध:** अधनियिम कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने और **प्रतबिंधति करने के लयि नयिोक्ताओं पर कानूनी दायत्वि** डालता है।
  - **आंतरकि शकिायत समति (ICC): यौन उत्पीड़न की शकिायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लयि नयिोक्ताओं को 10 या अधकि कर्मचारयिों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ICC का गठन करना आवश्यक है।**
    - शकिायत समतियिों के पास **साक्ष्य एकत्र करने के लयि दीवानी अदालतों** की शक्तयिाँ हैं।
  - **नयिोक्ताओं के कर्तव्य:** नयिोक्ताओं को जागरूकता कार्यक्रम आयोजति करने चाहयि, एक सुरक्षति कार्य वातावरण प्रदान करना चाहयि और **कार्यस्थल पर POSH अधनियिम के बारे में जानकारी प्रदर्शति** करनी चाहयि।
  - **शकिायत तंत्र:** अधनियिम शकिायत दर्ज करने, पूछताछ करने और शामलि पक्षों को उचति अवसर प्रदान करने के लयि एक प्रक्रयिा नरि्धारति करता है।
  - **दंड:** अधनियिम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है, **जसिमें जुर्माना और व्यवसाय लाइसेंस रद्द करना शामलि** है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर जस्टसि वर्मा समति की सफिारशिें:

- **घरेलू कामगारों** को PoSH अधनियिम के दायरे में शामलि कयिा जाना चाहयि।
- यह एक सुलह प्रक्रयिा का प्रस्ताव करता है जहाँ शकिायतकर्त्ता और प्रतवादी को शुरू में बातचीत और समझौते के माध्यम से मुद्दे को हल करने हेतु प्रोत्साहति कयिा जाता है।
- नयिोक्ता को यौन उत्पीड़न का शकिार हुई महलिा को मुआवज़ा देना चाहयि।
- PoSH अधनियिम में **आंतरकि शकिायत समति (Internal Complaints Committee- ICC) के बजाय एक रोज़गार न्यायाधकिरण** की स्थापना करना।

महलिा सुरक्षा से संबंधति अन्य पहलें:

- वन स्टॉप सेंटर योजना
- उज्ज्वला: तस्करी की रोकथाम और बचाव, तस्करी तथा वाणज्यिकि यौन शोषण के पीड़तिों के पुनर्वास एवं पुन: एकीकरण हेतु व्यापक योजना
- स्वाधार (SWADHAR) गृह (कठनि परस्थितियिों में महलिाओं हेतु योजना)
- नारी शक्ति पुरस्कार

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/protection-of-women-from-sexual-harassment-act,-2013